राजस्थान सरकार

( कायदा – 129 )

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2025/14

| किस्म मुकदमा | नंबर मुकदमा | तारीख दायर | तारीख फैसला | पेशी दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111-128 प्रार्थना-पत्र | 02/25 | 24/1/25 | | 11/2/25 |
| 111-128 प्रार्थना-पत्र | 02/25 | निर्णीत 11/2/25 | | |

अनवान

श्री जगन्नाथ पुत्र कालू श्री छीतर पुत्र घीसा

निवासी सुखपुरा निवासी सुखपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री R.D. श्री ..........

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलि

जगन्नाथ बनाम हीरा

मिसल नम्बर मा-128 नम्बर 02 /2

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 24/1/2024 | प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 11/2/2025 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>बिजौलियां |
| 11/2/25 | पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण को 3-बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। तहसीलदार बिजौलियाँ को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उप खण्ड अधिकारी<br>बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 02/25 तारीख 24/1/25

जगनाथ पुत्र काना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

**बनाम**

01. छीतर पुत्र घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवारी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. शंभुलाल पुत्र घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवारी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. शिवलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. रमेश पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. रामफूल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 11/2/25

प्रार्थना पत्र मैं जगनाथ पुत्र काना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **मौजा सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा में स्थित खाता संख्या 50 पर अंकित आराजी संख्या 277/2 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, आराजी संख्या 278 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्ष **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार कि जाकर **मौजा सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा में स्थित खाता संख्या 50 पर अंकि आराजी संख्या 277/2 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, आराजी संख्या 278 रकबा 1619 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसि के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रु राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

## यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 02/25 तारीख 24/1/25

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ........02............/2025 पत्थरगढ़ी बाबत्।

जगनाथ पुत्र काना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

**बनाम**

01. छीतर पुत्र घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. शंभुलाल पुत्र घीसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. शिवलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. रमेश पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. रामफूल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा में स्थित खाता संख्या 50 पर अंकित आराजी संख्या 277/2 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, आराजी संख्या 278 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट बिजौलियाँ जिला–भीलवाडा सत्यमेव जयते

**उपखण्ड अधिकारी**
**बिजौलियां**